"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 319] रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2002—अग्रहायण 18, शक 1924

गृह विभाग, सी-अनुभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-77/गृह (दो) सी/2002.—राज्य शासन को सम्यक् रूप से समाधान हो गया है कि श्री ललई सिंह यादव द्वारा लिखित एवं गावर पब्लिशिंग हाऊस नागपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक "सच्ची रामायण की चाभी" में उल्लेखित टिप्पणियों से वर्ग विशेष की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचने तथा उसके फलस्वरूप समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य द्वेष एवं संघर्ष भड़कने की आशंका है.

अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 95 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उपरोक्त संदर्भित पुस्तक की प्रत्येक प्रतियों एवं संबंधित सामग्री को तत्काल प्रभाव से छत्तीसगढ़ राज्य से राजसात करने का आदेश देती है. उक्त आदेश के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य में पुस्तक के विक्रय, वाचन, उद्धरण एवं संग्रहण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चंद्र मिश्र, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.